रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1972/आषाढ़ 14, 1894

No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1972/ASADHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th July 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year* 1972-73 (*Amendment No.* 8).

No. 98-ITC (PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exportors contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April, 1972—March 1973 issued under Ministry of Foreign Trade, Public Notice No. 47-ITC (PN)/72, dated 3-4-72.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1. 69	A. 91·2 Col. 4	The existing entry (i) may be amended to read as under :— "(i) Cassettes stereo records for testing of tape recorders and radiograms; and adhesives, paints and varnishes (10% subject to a maximum of Rs. 2000/- per quarterly application)."
2. 166		After the existing entry U.2, the following new entry may be inserted :—

1	2	3	4	5
U.3.	Bleached/dyed/printed jute fabrics (containing 100 % jute	5%	(a) Hydrogen peroxide (b) Caustic soda (c) Other permissible items required for manufacture of jute decorative fabrics on the recommendations of the Jute Commissioner, Calcutta.	The Registering authority will be the Jute Commissioner, Calcutta.

3. Consequent to the amendment referred to at 2 under para 2 above, the entry 'Bleached/dyed/printed Jute fabrics containing 100% jute)..... U.3" may be inserted alphabetically at the appropriate place of the Index of the above Red Book under the product group.

"U. NATURAL FIBRE PRODUCTS.,,

4. The amendment referred to as Serial number 2 of para 2 above will be applicable to exports made on or after 1st April, 1972.

M. M. Sen,
Chief Controller of Imports and Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1972

विषय .—1972–1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 8)

संख्या 98–आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.–विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 47–आई टी सी (पीएन)/72 दिनांक 3–4–72 के अंतर्गत अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1 69	ए० 91.2 ———— कालम—4	वर्तमान प्रविष्टि (1) नीचे लिखे अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाए :— "(1) टेप रिकार्ड और रेडियोग्राम के परीक्षण के लिए कासिट्स स्टिरिओ रिकार्डस, और आसंजक, पेंट तथा धानिश (10%, अधिक से अधिक 2000 रु० प्रति त्रैमासिक आवेदनपत्र की शर्त के अधीन)
2 166	—	वर्तमान प्रविष्टि यू० 2 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि निविष्ट की जाए :—

1	2	3	4	5
यू० 3	पटसन के विरंजित/रंजित/छपे हुए वस्त्र (जिनमें पटसन की मात्रा 100% हो)	5%	(क) हाइड्रोजन पैराक्साइड (ख) कास्टिक सोडा (ग) पटसन आयुक्त कलकत्ता की संस्तुति पटसन पर के सजावटी वस्त्रों के निर्माण के लिए अपेक्षित अन्य अनुभेय मदें।	पंजीकृत करने वाला प्राधिकारी पटसन आयुक्त कलकत्ता होगा।

3. उपर्युक्त कंडिका 2 में 2 पर उल्लिखित संशोधन के परिणामस्वरूप प्रविष्टि "पटसन के विरंजित/रंजित/छपे हुए वस्त्र (जिनमें पटसन की मात्रा 100% हो) ..... यू० 3" को उपर्युक्त रैड बुक के सूचक में उत्पाद ग्रुप "यू० नेचुरल फाइबर प्रोडक्टस" के अंतर्गत उचित स्थान पर वर्णक्रमानुसार निविष्ट किया जाए।

4. उपर्युक्त पैरा 2 की क्रम सं० 2 में उल्लिखित संशोधन 1 अप्रैल, 1972 को या इसमे बाद में किए गए निर्यातों के लिए लागू होगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972